झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

2(6)
9/01/18

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़ें :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2047, दिनांक 03.03.2015 एवं पत्रांक–4232, दिनांक 11.05.2015
2. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक–1635/गो0, दिनांक 26.09.2015

श्री अशोक कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–521/03), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति–सह–विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध परिवादी श्री अमित कुमार सिंह, सा0– शंकर नगर, बरमसिया, थाना–धनसार, जिला–धनबाद के द्वारा परिवाद–पत्र, दिनांक 09.01.2015 उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी योजना को फ्लॉप कराने की साजिश रचने एवं रिश्वत की माँग करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद–पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2047, दिनांक 03.03.2015 एवं पत्रांक–4232, दिनांक 11.05.2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके अनुपालन में उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–1635/गो0, दिनांक 26.09.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

जाँच प्रतिवेदन में उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गय है कि प्राप्त परिवाद–पत्र के आलोक में उप विकास आयुक्त, धनबाद से जाँच करायी गयी है। उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा पत्र संख्या–33/सी0, दिनांक 13.04.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मंतव्य दिया गया कि परिवादी द्वारा परिवाद–पत्र में लगाया गया आरोप द्वेष की भावना से लगाया गया है तथा राशि की माँग करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

इस प्रकार उपायुक्त, धनबाद द्वारा मंतव्य दिया गया कि– "जाँच अधिकारी का आरोप के विद्वेषपूर्ण होने एवं रिश्वत की माँग से संबंधित आरोप प्रमाणित नहीं होने संबंधी अभिमत को साक्ष्य के अभाव में असत्य करार देना उचित प्रतीत नहीं होता है"।

श्री सिंह के विरूद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री अशोक कुमार सिंह, झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति–सह–विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद, सम्प्रति–निदेशक, संस्कृति, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड को **भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अशोक कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08.01.18

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–6/2015 का०–261/राँची, दिनांक 9 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, धनबाद/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अशोक कुमार सिंह, झा0प्र0से0 निदेशक, संस्कृति, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.01.18

सरकार के संयुक्त सचिव।